कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.15(38)सविरा / नियम / कम्प्यूटराईजेशन / 2016 दिनांक 10.10.2017

आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के द्वारा राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत होने वाली संस्थाओं का पंजीयन ऑनलाईन किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जा चुका है। जिसके पश्चात् अब उक्त अधिनियम में संस्था पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जाकर पंजीयन संबंधी समस्त कार्यवाही ऑनलाईन ही सम्पादित की जावेगी।

इस हेतु आवेदकों की सहायतार्थ राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ऑनलाईन संस्था पंजीयन करवाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जा चुके हैं।

अतः राज्य के समस्त रजिस्ट्रार, संस्थाएं को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालय राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्थाओं के पंजीयन हेतु आवेदकों से व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्राप्त नहीं कर केवल ऑनलाईन आवेदनों के आधार पर ही पंजीयन संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अभय कुमार)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर।
4. फंक्शनल अधिकारीगण, प्रधान कार्यालय (समस्त) JR (Plan)
5. अतिरिक्त पंजीयक .... खण्ड (समस्त)
6. रजिस्ट्रार, संस्थायें .... (समस्त)
7. वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)